मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)
खण्ड–2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्र 22421/22/वि–12/ग्रासप्रा/GMT-5/16 भोपाल दिनांक 01/11/16

प्रति

मुख्य महाप्रबंधक (समस्त),
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
...............(म.प्र.)

विषय :– रिन्यूवल कार्यों की अनुमति बावत्।

–0–

रिन्यूवल कार्यों के संबंध में मुख्यालय से जारी निर्देश पत्र 20821 दिनांक 03/10/16 का अवलोकन करें। इकाईयों से प्राप्त अतिआवश्यक रिन्यूवल कार्यों की जानकारी एवं प्राधिकरण में संधारण मद में उपलब्ध धनराशि को देखते हुए मुख्य महाप्रबंधकों को अपने कार्यक्षेत्र में निम्नानुसार कुल लंबाई में रिन्यूवल कार्यों की अनुमति प्रदान करने के लिए अधिकृत किया जाता है–

क्र. संख्या	संभाग	प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक / प्रमुख अभियंता	लंबाई (कि.मी.)
1	भोपाल एवं होशंगाबाद	प्रमुख अभियंता	237
2	सागर	मुख्य महाप्रबंधक–सागर	126
3	ग्वालियर एवं चंबल	मुख्य महाप्रबंधक–द्वितीय	143
4	उज्जैन	मुख्य महाप्रबंधक–इंदौर	264
5	इंदौर	मुख्य महाप्रबंधक–इंदौर	418
6	जबलपुर	मुख्य महाप्रबंधक–जबलपुर	442
7	रीवा एवं शहडोल	मुख्य महाप्रबंधक–रीवा	273

संलग्न प्रपत्र मे उपरोक्तानुसार रिन्यूवल हेतु इकाईवार विवरण दिया गया है तथापि मुख्य महाप्रबंधक अपने कार्यक्षेत्र के संभागों के लिये उपरोक्तानुसार सीमा के अंदर इकाइयों को रिन्यूवल कार्यों की अनुमति निम्न शर्तों के आधीन प्रदान करेंगे–

1. रिन्यूवल कार्य करने के पूर्व मार्ग का निरीक्षण किया जाकर मार्ग के **प्रत्येक कि.मी. भाग** में डामरीकृत सतह की स्थिति का विश्लेषण किया जाएगा और केवल उन्ही खंडों में रिन्यूवल कार्य किया जाएगा जिसमें सतह अच्छी नही है। यदि कोई भाग अधिकांश Smooth स्थिति मे है तो उसमे रिन्यूवल नही कराया जाएगा।
2. यदि किसी खंड़ में कुछ भागों में पॉट होल/पैच है एवं शेष भाग Smooth है, तथा समग्र रूप से विश्लेषण करने पर उस खंड में रिन्यूवल की आवश्यकता प्रतीत होती है तो, अच्छी स्थिति वाले भाग को भी खुरचकर rough करने के बाद ही रिन्यूवल कार्य किया जायेगा।

3. रिन्यूवल कार्य के पूर्व टैक कोट का उचित गुणवत्ता एवं प्रावधानित मात्रा में उपयोग किया जायेगा।
4. रिन्यूवल के पूर्व एवं पश्चात, अभिलेख मे संधारित करने के लिये प्रत्येक किमी भाग मे दो फोटोग्राफ इस प्रकार लिये जाएंगे कि एक फोटो किमी स्टोन के पास तथा दूसरा फोटो किमी स्टोन के बाद 400 मी भाग का होगा, अर्थात 400,800,1000,1400,1800,2000,2400,2800 मी आदि।

इस संबंध में IRC-82-2015 में दिये प्रावधानों का भी ध्यान रखा जायेगा।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

(मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अनुमोदित)

1/11

प्रमुख अभियंता
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
भोपाल

पृ.क्र22422/22 / वि–12 / ग्रासप्रा / GMT-5/16 भोपाल दिनांक01 / 11 / 16

प्रतिलिपि–

- महाप्रबंधक, म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, ... (म.प्र.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
  – संलग्न प्रपत्र मे दर्शाये गये किमी केवल सांकेतिक हैं । आपको जो भी रिन्यूवल करना है उसकी अनुमति मुख्य महाप्रबंधक से प्राप्त करना है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

1/11

प्रमुख अभियंता
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
भोपाल